

समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली-02


तारंकित प्रश्न संख्या:- 142

दिनांक: - 28.03.2018

प्रश्नकर्ता: - सुश्री भावना गौड

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर								
(क)	पालम विधानसभा में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है;	पालम विधानसभा में कुल 6688 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है;								
(ख)	पालम विधानसभा में वर्ष 2015 से 2018 तक वृद्धावस्था पेंशन के कितने नए आवेदन स्वीकृत हुए हैं, पूर्ण विवरण दें;	पालम विधानसभा में वर्ष 2015 से 2018 तक वृद्धावस्था पेंशन के कुल स्वीकृत आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है— <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>योजना</th> <th>2015-16</th> <th>16-17</th> <th>17-18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वृद्धावस्था पेंशन</td> <td>253</td> <td>7</td> <td>1442</td> </tr> </tbody> </table>	योजना	2015-16	16-17	17-18	वृद्धावस्था पेंशन	253	7	1442
योजना	2015-16	16-17	17-18							
वृद्धावस्था पेंशन	253	7	1442							
(ग)	क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा में वर्ष 2017-18 के लिए तय की गई वृद्धावस्था पेंशनों का कुछ कोटा शेष बचा है;	जी नहीं।								
(घ)	यदि हां तो उसका विवरण क्या है; और	उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं होता।								
(च)	पालम विधानसभा में किन्हीं कारणों से रूकी हुई वृद्धावस्था पेंशनें कब तक फिर से मिलनी शुरू हो जाएंगी ?	विभाग द्वारा किसी भी लाभार्थी की पेंशन रूकी नहीं जाती, अपितु लाभार्थियों के खातों में किसी प्रकार की त्रुटि/कमी होने पर संबंधित बैंको द्वारा पेंशन विभाग को वापस कर दी जाती है, जो कि आवश्यक सुधार के बाद बकाया राशि सहित लाभार्थियों के बैंक खातों में पुनः प्रेषित कर दी जाती है।								



Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002